POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 18.01.2025

1.थाना सैक्टर 142 पुलिस द्वारा 02 अंतर्राज्यीय वाहन/अन्य चोरी करने वाले अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक चोरी की कार, एक मोबाईल फोन, 1000/- रूपये नगद, वोटर आई0डी0 कार्ड, एक अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर व एक अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 18.01.2025 को थाना सैक्टर 142 पुलिस व सीडीटी टीम सैन्ट्रल नोएडा जोन के द्वारा संयुक्त रूप से सेक्टर 140 कट के पास सर्विस रोड पर चैकिंग के दौरान 02 अन्तर्राज्यीय वाहन चोर अभियुक्तगण 1. हितेश कुमार पुत्र रोहताश 2. दीपांशु कश्यप पुत्र विपिन कुमार को **गिरफ्तार** किया गया है। जिनके कब्जे से एक चोरी की कार(HYUNDAI AURA) मु0अ0स0 12/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिसरख से सम्बन्धित व एक मोबाइल फोन ओप्पो कम्पनी का (चोरी का), 1000/- रुपये, एक वोटर आई डी कार्ड बरामद हुयी जो कि अभियुक्तों के द्वारा दिनांक 09.01.25 को रात्रि में थाना सैक्टर 142 थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर बने शौचालय के पास से कार से वादी के उतरने के पश्चात् उनका सामान चोरी कर भाग गये थे ,बरामद हुए है एवं एक अवैध तमंचा .32 बोर व दो जिन्दा कारतूस .32 बोर व एक चाकू नाजायज भी बरामद हुए है। गिरफ्तार अभियुक्तगण हितेश व दीपांशु उपरोक्त के विरूद्ध थाना सेक्टर 142 पर मु0अ0स0 05/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व मु0अ0स0 07/2025 धारा 317(2), बीएनएस व 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटनाक्रम का विवरण-- अभियुक्तगण हितेश व दीपांशु उपरोक्त द्वारा अपने सहअभियुक्तो 1. आदित्य पुत्र अमरजीत 2. राहुल कश्यप पुत्र विजेन्द्र कश्यप 3. किशन कुमार पुत्र सत्यभान 4.अतुल कुमार पुत्र कुँवरसैन के साथ मिलकर एनसीआर में रेकी कर कारों के लॉक तोडकर चोरी करके व खुद सवारी बनकर लोगो को गुमराह कर दिल्ली एनसीआर व आसपास के क्षेत्रो मे बस स्टाप, टैम्पो स्टैण्ड आदि स्थानो से सवारियो को कैब में बैठा लेते थे व रास्ते में चाय पीने या लघुशंका आदि के बहाने से गाडी को रोककर सवारी के नीचे उतरते ही उनके डिग्गी में रखे सामान तथा बैग आदि को चोरी कर फरार हो जाते थे तथा बाद में चोरी किये गये समान को बेच दिया करते थे तथा प्राप्त आर्थिक लाभ को आपस में बांट लेते थे। उपरोक्त शातिर गैंग में कुछ सदस्य पूर्व में टैक्सी चलाने का कार्य करते थे, सवारियो के साथ उनके सामान व नगदी आदि को देखकर लालचवश अपने सहखर्चे को पूरा करने के इरादे से इनके दिमाग में चोरी करने की योजना तैयार की गयी व घटनाये कारित की गयी है।

इनके सहअभियुक्तगण 1. आदित्य पुत्र अमरजीत 2. राहुल कश्यप पुत्र विजेन्द्र कश्यप 3. किशन कुमार पुत्र सत्यभान 4.अतुल कुमार पुत्र कुँवरसैन के बारे में जानकारी मिली है कि दिनांक 13.01.25 को अभियुक्तगण दिल्ली के थाना कश्मीरी गेट के मु0अ0स0 80002961/2025 धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत गिरफ्तार होकर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, उनके रिमाण्ड प्राप्त करने हेतु अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट-- उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी से कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में चोरी की घटनाओ के सफल अनावरण करने वाली टीम को पुलिस उपायुक्त महोदय सेन्ट्रल नोएडा द्वारा 25000/- नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. हितेश कुमार पुत्र रोहताश उम्र करीब 22 वर्ष मूल निवासी ग्राम निसुरखा थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर , हाल निवासी सुदामापुरी थाना विजय नगर गाजियाबाद (किराये का मकान)
2. दीपांशु कश्यप पुत्र विपिन कुमार उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम छज्जूपुर थाना परतापुर जनपद मेरठ।

अभियुक्तो का अपराधिक इतिहास--

A.हितेश कुमार पुत्र रोहताश--

1. मु0अ0स0 05/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सैक्टर 142, गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0स0 12/2025 धारा 303(2) बीएनएस , थाना बिसरख , गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0स0 07/2025 धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम, थाना सैक्टर 142, गौतमबुद्धनगर

B.दीपांशु कश्यप पुत्र विपिन कुमार--

1. मु0अ0स0 05/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सैक्टर 142, गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0स0 07/2025 धारा 317(2) बीएनएस व 4/25 आयुध अधिनियम, थाना सैक्टर 142, गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0स0 12/2025 धारा 303(2) बीएनएस , थाना बिसरख , गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0स0 20/2020 धारा 380/411/457 भादवि , थाना सिम्भावली , जनपद हापुड
5. मु0अ0स0 25/2020 धारा 411 भादवि , थाना सिम्भावली , जनपद हापुड
6. मु0अ0स0 345/2019 धारा 379 भादवि , थाना सिम्भावली , जनपद हापुड

बरामदगी का विवरण--

1. एक चोरी की कार (HYUNDAI AURA)

2. एक मोबाईल फोन
3. 1000/- रूपये नगद
4. वोटर आई0डी0 कार्ड
5. एक अवैध तमंचा मय दो जिन्दा कारतूस .32 बोर
6. एक अवैध चाकू बरामद

2.थाना सैक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा मोबाईल टावर से आर0आर0यू चोरी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया एक आर0आर0यू बरामद।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 17/01/2025 को सैक्टर 22 नोएडा में मकान की छत पर लगे एयरटेल कम्पनी के मोबाईल टावर से एक आर0आर0यू चोरी हो जाने के सम्बन्ध में वादी (कम्पनी टैक्नीशियन) द्वारा थाना सैक्टर 24 पर मु0अ0सं0 025/2025 धारा 303(2) / 317(2) बीएनएस पंजीकृत कराया था। उपरोक्त चोरी की घटना के अनुक्रम में थाना सैक्टर 24 नोएडा पुलिस टीम द्वारा **दिनांक 18.01.2025** को एफ ब्लाक सैक्टर 22 के बारात घर के पास बने सार्वजनिक शौचालय के पास से मोबाईल टावर से आर0आर0यू चोरी करने वाले चार अभियुक्तगण 1. सुरजीत सिंह पुत्र कृपाल सिंह 2. सन्नी सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह 3. जीतेन्द्र पुत्र अमर सिंह 4. प्रदीप चौहान पुत्र राकेश सिंह को **गिरफ्तार** किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी किया गया मोबाईल टावर में लगा एक आर0आर0यू बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. सुरजीत सिंह पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम राजापुर थाना बहादुरपुर जिला कन्नौज हाल पता ग्राम सलारपुर सैक्टर 107 थाना सैक्टर 39 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर, उम्र 22 वर्ष
2. सन्नी सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह निवासी ग्राम बलुआ थाना बदलापुर जिला जौनपुर हाल पता ग्राम चौडा सैक्टर 22 थाना सैक्टर 24 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर, उम्र 19 वर्ष
3. जीतेन्द्र पुत्र अमर सिंह निवासी नगला पवल थाना कोतवाली जिला एटा हाल पता ग्राम चौडा सैक्टर 22 थाना सैक्टर 24 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर, उम्र 20 वर्ष
4. प्रदीप चौहान पुत्र राकेश सिंह निवासी ग्राम जिनौल थाना पटियाली जिला एटा हाल पता ग्राम चौडा सैक्टर 22 थाना सैक्टर 24 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर, उम्र 20 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 025/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सैक्टर 24 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. 01 आर0आर0यू बरामद।